

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज लालाराम बनाम फुल्या वगैरा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मु.न. 83/2018	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13.12.2018	<p>अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया की प्रकरण में पत्रावली तामील बइंतजार अप्रार्थीगण एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई की टिप्पणी हेतु पेशी तारीख आज नियत है। किन्तु तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई श्री चिम्मनलाल मीना का स्थानान्तरण हो चुका हैं। इसलिए विचाराधीन प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा व्यक्त किया गया है कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई का स्थानान्तरण हो चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में विचारधीन उनवानी प्रकरण लालाराम बनाम फुल्याराम प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नं. 111/2018 को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को भिजवायी जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम ही। निर्णय आज दिनांक 13.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

  
 बति० जिला कलक्टर  
 दौसा

